

न्यायालय जिला कलक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 05/2020

जी.सी.एम.एस. : 2020/00156

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

नैनाराम पुत्र छोगाजी, जाति मारु  
कुम्हार, निवासी सिंदरू, तहसील  
सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

1. भीकीदेवी पत्नी रूघनाथरामजी, जाति  
रेबारी निवासी सिंदरू, तहसील सुमेरपुर,  
जिला पाली, (राज.)
2. तहसीलदार महोदय, सुमेरपुर,  
जिला-पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20 सपटित नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि  
आवंटन) नियम 1970



उपरिस्थित :- प्रार्थी की ओर से सुमेरसिंह राजपुरोहित  
अप्रार्थी की ओर से मदनदास वैष्णव

—: निर्णय :-

दिनांक:- 13/12/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20 सपटित नियम 14(4)  
राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रस्तुत कर अप्रार्थीया भीकी  
पत्नी रूघनाथ जाति रेबारी के हक में दिनांक 1.2.2008 को उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर केम्प  
सिंदरू में ग्राम सिंदरू के खसरा नंबर 914 में से रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि का निःशुल्क नियमन  
किया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया  
जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एवं आवंटन नियमन सम्बन्धी रिकॉर्ड तलब किया गया एवं  
बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम सिंदरू के खसरा नंबर 914 कुल  
रकबा 2.45 हैक्टेयर है जिसके गत खसरा नंबर 459 रकबा 1 बिघा किस्म बारानी दोयम एवं  
खसरा नंबर 464 रकबा 8 बीघा गैर मुमकिन रास्ता की थी। जिसे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बारानी  
दोयम कर दी जबकि भूमि की किस्म बदलने का अधिकार भू प्रबन्ध विभाग को नहीं है प्रार्थी  
का कब्जा खसरा नंबर 914 में से करीब 0.18 हैक्टेयर भूमि पर करीब 35 वर्षों से है खसरा  
परिवर्तनशील की नकलें संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रपत्रों अनुसार  
उपरोक्त 0.18 हैक्टेयर भूमि को प्रार्थी अपने नाम कराने का अधिकारी है। प्रार्थी कृषक, गरीब,  
बीपीएल का चयनित एवं भूमिहीन व्यक्ति है अप्रार्थी का उपरोक्त खसरा नंबर 914 में कभी भी  
रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि पर लगातार कब्जा नहीं रहा फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने नाम  
नियमन करवा लिया जो विधिविरुद्ध है जो 1.1.2000 के पहले से लगातार कब्जा होने के  
आधार पर राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार करना बताया है जबकि अप्रार्थी 1 का कब्जा 1.1.  
2000 से लगातार कभी भी उपरोक्त भूमि पर नहीं रहा यह सब पटवार हल्का एवं भू.अ.नि. द्वारा  
मिली भगत कर किया गया जबकि पी-14 में अप्रार्थी का कब्जा काश्त दर्ज नहीं है। इस प्रकार  
झूठी रिपोर्ट के आधार पर नियमन करवाया गया है जो काबिल निरस्त है। अप्रार्थी भेड़ चराने  
वाले है पेशे से कृषक नहीं है जो भूमि नियमन की अधिकारी नहीं है प्रार्थी का उक्त भूमि पर  
लगातार कब्जा है जो पी-14 से स्पष्ट है इस कारण आवेदन स्वीकार योग्य है। तथा प्रार्थी  
विधी अनुसार नियमन का अधिकारी है फिर भी नियमन नहीं किया न ही प्रार्थी को उक्त भूमि  
से बेदखल किया गया है। प्रार्थी द्वारा काबिज व धारित भूमि को ही अप्रार्थी संख्या 1 को  
नियमन कर दी जिसके खसरा नंबर 914/1 रकबा 0.48 हैक्टेयर दर्ज कर दी तथा तरमीम कर  
दी जो उसी स्थान की है जहां प्रार्थी 45 वर्षों से काबिज है उसमें किया गया नियमन अपास्त  
किया जावे। क्योंकि प्रार्थी को उसके द्वारा काबिज भूमि से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया  
गया है एवं नियमन का अधिकारी होने पर उसके हक में नियमन किया जाना चाहिए। जो नहीं  
किया गया है एवं प्रार्थी 1 के हक में कोरम के बिना ही नियमन किया गया है जो ab initio  
void होने से अपास्त योग्य है। जिसे अपास्त करने के साथ ही प्रार्थी के हक में नियमन किये  
जाने हेतु आदेश फरमावे। वकील प्रार्थी ने अपने तर्कों की ताईद में न्यायिक दृष्टांत 2019 (2)  
RRT, 1230 (Raj High court), 2001(1) RRT 244(HC), 1993 RRD 44(c), 2002 RRD page-1  
(HC) (DB)-30, 2015(2) RRT 790, 2018-19 RRT 338, 2019 DNJ 49, 2021(2) RRT 1140,  
1998 RRD 589 भी पेश किए।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि खसरा नंबर 914 रकबा 2.45 हैक्टेयर  
किस्म बारानी दोयम गैर मुमकिन रास्ते की भूमि नहीं है मौके पर रास्ता न  रास्ते के  
काम ही आ रही है। उक्त आराजी काबिल काश्त होने से नियमन योग्य है  से स्पष्ट  
है तथा नियमन के लिए उपलब्ध थी प्रार्थी का कब्जा मात्र 0.18 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा काश्त  
था प्रार्थी भी नियमन कराना चाहता है उक्त भूमि रास्ते की है ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य  
वकील प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है आम रास्ते की भूमि है तो उसे अपने नाम नियमन  
कराने की मंशा एवं अधिकार नहीं जताना चाहिए प्रार्थीगण कृषक नहीं है तथा रेवड़ लेकर वर्षों

में महीनों बाहर रहते हैं इससे स्पष्ट है कि वह पेशे से काश्तकार नहीं है भूमी हीन भी नहीं है क्योंकि उसके भूमी होने एवं उसके पिता के नाम भूमी होने बाबत किसी प्रकार के साक्ष्य सबूत नहीं है न ही पेश किए हैं मात्र उसके अधिवक्ता द्वारा कथन किए गए हैं जो स्वीकार्य नहीं है अप्रार्थी का मौजा सिन्दरू तहसील सुमेरपुर के खसरा नंबर 914 रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमी पर दिनांक 1.1.2000 के पूर्व से कब्जा होने एवं उक्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा होने से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 11.1.2008 अनुसार बाद जांच के आंवटन नियमन कमेटी द्वारा पूर्ण कोरम में नियमन किया गया जो मातहत कार्यालय से प्राप्त रेकॉर्ड से स्पष्ट है काबिल अधिवक्ता प्रार्थी ने परिपत्र दिनांक 11.1.2008 में वर्णित किस नियम का उल्लंघन करते हुए नियमन किया गया है यह उल्लेख नहीं किया है न ही किसी प्रकार के फर्जीवाड़े अथवा गलत प्रस्तुतीकरण के आधार पर आंवटन नियमन को फर्जी कूटरचित बताना विधिसम्मत नहीं है आंवटी खातेदार दर्ज हो चुका है तथा आंवटन नियमन के पूर्व भी उसका कब्जा था जिसकी खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां पत्रावली संलग्न है प्रार्थी वहां काबिज है वहीं अप्रार्थी को परिपत्र दिनांक 11.1.2008 के अनुसार ही अप्रार्थी के कब्जे के आधार पर नियमन किया गया है अप्रार्थी वर्तमान में खसरा नंबर 914/1 की खातेदार काश्तकार है खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आंवटन नियमन निरस्त नहीं किया जा सकता है तथा भूमी पर काबिज है तथा तरमीम की हुई है ऐसी स्थिति में नियमन को खारिज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस प्रकार नियमों की पालना करते हुए बिना किसी धोखाधड़ी अथवा दुर्व्यपदेशन के कोरम में नियमन आदेश किया गया है जिसे यथावत रखा जावे एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1996 RBJ Page- 412, 1994 RRD Page-208, 1986 RRD Page 137, 2008 RRT Page 834, 1995 DNJ Page 592 H.C., 1987 RRD Page 235 की प्रतिया पेश की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा मातहत कार्यालय से प्राप्त आंवटन नियमन रेकॉर्ड का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन एवं अध्ययन किया गया इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दु मुख्य रूप से 3 हैं :-

1. क्या उक्त नियमन रास्ते की भूमी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमी का हुआ है ?
2. क्या उक्त प्रकरण में तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण अथवा नियमों को ताक पर रखते हुए तथा उनकी पालना नहीं होना प्रमाणित होता है ?
3. क्या नियमन के प्रकरण को नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया जा सकता है ?

पत्रावली पर रेकॉर्ड अनुसार वक्त आंवटन नियमन भूमी की किस्म बारानी सोयम दर्ज थी जो पूर्व में खसरा नंबर 459 किस्म बारानी दोयम तथा खसरा नंबर 464 गै.मु. रास्ता से बना था जो कुल रकबा 2.45 हैक्टेयर बारानी तृतीय बना है वक्त आंवटन दोनों खसरों में से किसमें कितना आंवटन हुआ यह स्पष्ट नहीं है तथा रेकॉर्ड में भूप्रबन्धन अधिकारी द्वारा गलत किस्म दर्ज की है तो सक्षम न्यायालय में नियमानुसार प्रकरण दर्ज करवा कर दुरुस्त करना चाहिए था। वक्त आंवटन भूमी की किस्म बारानी द्वितीय थी जो नियमानुसार प्रतिबंधित श्रेणी की भूमी नहीं है। जिसे नियमन आंवटन किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है।

पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि कहीं भी तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण हुआ हो अथवा मिथ्या कथनों से आंवटन नियमन कराया गया हो ऐसा प्रमाणित नहीं है। नियमन नियम 20 के अनुसार तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 11.1.2008 के अनुसार किया गया है। तथा कार्यवाही पूर्ण पायी गई है नियमानुसार पहले गैर खातेदारी दी जानी पाई गई तथा बाद में नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिए जाने स्पष्ट है।

आंवटन नियमों के तहत नियम 20 में भी तथ्यों के साथ धोखाधड़ी एवं दुर्व्यपदेशन तथा नियमों का उल्लंघन हुआ है तो आंवटन नियमन निरस्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता सक्षम है।

उपरोक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 भीकीदेवी पत्नी रुघनाथजी रेबारी निवासी सिन्दरू तहसील सुमेरपुर के हक में ग्राम सिन्दरू के खसरा नंबर 914 रकबा 0.48 हैक्टेयर का नियमन उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा दिनांक 1.2.2008 को किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13/12/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

*Am*

(अंश दीप)

जिला कलक्टर, पाली

जिला कलक्टर, पाली